



मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

प्रापटी
फॉर सेल

रजिस्ट्री में शासन के
नियमानुसार स्टाम्प
शुल्क में छूट

नर्मदा परिसर

पंजीयन दिनांक
15 दिसम्बर 2017
तक आमंत्रित।

नेहरू डिग्री कालेज के पास धनपुरी

(बुढ़ार) जिला शहडोल में आवासीय भवनों के पंजीयन प्रारम्भ
रेरा पंजीयन क्र. P-SD1.-17-151

प्रस्तावित भवन प्रकार	उपलब्ध भवनों की संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्ग.मी.	कारपेट एरिया वर्ग.मी.	अनुमानित मूल्य लाख में	पंजीयन राशि रुपये में	फार्म का मूल्य रुपये
04 एच.आई.जी. (सीनियर ए)	02	142.50	56.77	29.50	295000.00	500.00
02 एच.आई.जी. (डीलक्स)	01	112.50	41.66	22.63	226300.00	500.00
02 एम.आई.जी. (जूनियर ए)	01	97.50	13.26	20.52	205200.00	500.00
05 एम.आई.जी. (जूनियर बी)	02	78.00	35.64	17.96	179600.00	500.00
10 ई.डब्ल्यू.एम.	06	10.00	22.98	07.72	77200.00	200.00

ई.डब्ल्यू.एस. भवनों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY) के अंतर्गत ऋण राशि पर 6.50% ब्याज सब्सिडी (CLS) की सुविधा।

वार्षिक आय सीमा ई.डब्ल्यू.एस. हेतु रु. 3.00 लाख से अधिक नहीं

आय प्रमाण के लिये स्व-प्रमाणित आवेदन मान्य होंगे

मण्डल/शासन के नियम एवं शर्तें लागू

शासन के नियमानुसार जी.एस.टी. पृथक के देय होगा।

M.P. Online Help Line No. : 0755-4019400

सम्पत्ति के ऋण हेतु बैंक/वित्तीय संस्थानों से सुविधा उपलब्ध।

आवेदन /पंजीयन राशि NEFT/ RTGS/Online से ही स्वीकार

ऑनलाइन पंजीयन एवं विस्तृत जानकारी www.mphousing.in/
www.mponline.gov.in कियोस्क पर उपलब्ध है।

सम्पर्क सूत्र -

श्री एम.सी. घनघोरिया
(सम्पदा अधिकारी, शहडोल)
9425148302

श्री आर.एम. नापित
(सहायक सम्पदा अधिकारी,
शहडोल) 9479467495

श्री आर.पी. वर्मा
(उप यंत्री शहडोल)
9425843829

visit us : www.mphousing.in
म.प्र. माध्यम-87324/201

दैनिक भास्वी 28/10/17